राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र / 2023 / 977 दिनांकः– 20/2/23

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दिनांक 01–07–2019 के पश्चात् जो भी आवासीय सम्पत्तियां खुली बिक्री योजना अथवा बुधवार नीलामी के तहत सील बन्द नीलामी के माध्यम से नगद भुगतान मे बेची गयी। उनके आवंटियों / क्रेताओं द्वारा कोरोना संक्रमण काल से उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों के कारण मांग राशि का एक मुश्त भुगतान नहीं कर पाने के कारण उन्हें 156 मासिक किश्त आधारित योजना का लाभ देने की स्वीकृति कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र / 2020 / 293 दिनांक 14–07–2020 के द्वारा प्रदान की गयी थी। **जिसमें खुली नीलामी के द्वारा बेची गयी प्रीमियम सम्पत्तियां सम्मिलित नहीं की गयी थी।**

वर्तमान में ई–बिड सबमिशन / बुधवार नीलामी उत्सव एवं लॉटरी द्वारा आवंटित आवासों / फ्लैटों के आवंटियों द्वारा कोविड–19 महामारी के कारण खराब हुई आर्थिक स्थिति से आज तक नहीं उभर पाने के कारण एक मुश्त भुगतान किये जाने में असमर्थता जताते हुए नगद भुगतान पद्धति में आवंटित आवासों / फ्लैटों के आवंटन को किराया क्रय पद्धति (किश्तों) पर आवंटित करने की निरन्तर मांग की जा रही है।

कोविड–19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों एवं वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान को मध्यनजर रखते हुए ई–बिड सबमिशन / बुधवार नीलामी उत्सव एवं लॉटरी द्वारा नगद भुगतान पद्धति पर आवंटित आवासों / फ्लैटों के आवंटन को नगद भुगतान पद्धति से किराया क्रय पद्धति (किश्तों) में परिवर्तित हेतु समस्त प्रकरण दिनांक 31–03–2023 तक आवासन आयुक्त के अनुमोदन से किये जा सकेंगे। **जिसमें खुली नीलामी के द्वारा बेची गयी सम्पत्तियां (आवासीय / व्यावसायिक) शामिल नहीं होगी।**

उक्त आदेश को समक्ष स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ :–

1– निजी सचिव–अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2– निजी सचिव–सचिव / वित्तीय सलाहकार / निदेशक विधि / मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3– मुख्य अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4– अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर / जोधपुर।
5– अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6– उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7– उप आवासन आयुक्त, वृत–.................................., रा0आ0म0, ... (समस्त)
7– आवासीय अभियन्ता, खण्ड–.................................., रा0आ0म0, ... (समस्त)
8– संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त / आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9– प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
10–प्रभारी अधिकारी, मार्केटिंग सेल, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11–रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

D/DRB/OFFICE ORDER